न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर00ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पत्रावली संख्याः— 12 / 2013
प्रविष्टि दिनांकः— 30.01.2013

सरकार जरिये तहसीलदार मालपुरा

.... प्रार्थी

बनाम

1—आबिद हुसैन |
2—रफीक | पि0 जुम्मा खां बणजारा निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 मालपुरा
3—मो0 हनीफ
4—मो0 अजीज |

5—अमीना |
6—हसीना | पुत्रियां जुम्मा खां बणजारा निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 मालपुरा
7—मैना |
8—छोटी बेवा जुम्मा खां बणजारा निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 मालपुरा

..........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थितः—(1) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से।

अभिशंषा

दिनांक 08.02.2018

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी (तहसीलदार मालपुरा) द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 402 रकबा 240.03 बीघा में से 5 बीघा वाके ग्राम श्योपुर तहसील मालपुरा जो गै0मु0 नदी है का आवण्टन जुम्मा खां पुत्र बोदू खां जाति मुसलमान निवासी श्योपुर तहसील मालपुरा को दिनांक 17—06—77 को किया गया है तथा उक्त आवण्टन के आधार पर विवादित भूमि का गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 169 एवं खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 261 से आवण्टी के हक में अमल राजस्व रिकार्ड में किया गया है। आवंटी के फौत हो जाने पर विवादित उक्त भूमि का विरासत का नामांतकरण सं0 499 उसके उपरोक्त वारिसान के नाम स्वीकार किया गया है। चूंकि उक्त भूमि खतौनी भूप्रबन्ध जमाबन्दी सं0 2010 में गै0मु0 नदी दर्ज थी। अतः उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित होने से आवण्टन योग्य नहीं है। ऐसी भूमियों को पूर्ववत रखे जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय ने डी0बी0सिविल रिट याचिका सं0 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार में निर्णय दिनांक 2.08.2004 में भी उल्लेख किया है तथा उक्त निर्णय की पालना में यह रेफरेन्स

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवण्टन आदेश व उसकी पालना में आवंटी के पक्ष में भरे गये गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 169 व खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 261 तथा व आवंटी के वारिसान के पक्ष में भरे गये नामांतकरण सं0 499 निरस्त करने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाये जाने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी की तलबी की गई। जवाब प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहें। बहस राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3. राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 402 जिसके हाल ख0नं0 402/4 रकबा 240.03 बीघा में से 5 बीघा वाके ग्राम श्योपुर तहसील मालपुरा जो गै0मु0 नदी है का आवण्टन अप्रार्थीगण के पिता/पति जुम्मा खां निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मालपुरा का दिनांक 17–06–77 को किया गया है जबकि विवादित भूमि गै0मु0 नदी है जो जमाबन्दी खतौनी भूप्रबन्ध सं0 2010 से प्रकट है। चूंकि भूमि की किस्म गै0मु0 नदी है। नदी, नाले, तालाबो (प्राकृतिक स्त्रोतो) की भूमि जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित है वह आवण्टन योग्य नहीं है। इन भूमियों पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.08.04 में ऐसी भूमियों की जो खातेदारियां दी गई है, पूर्ववत स्थिति में किये जाने का निर्णय पारित किया है तथा उक्त निर्णय की अनुपालना में ही प्रार्थी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवण्टन आदेश व उसके आधार पर भरे गये नामान्तरकरण संख्या 169, 261, 499 से आवंटी व उसके वारिसान अप्रार्थीगण के हक में विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ है को निरस्त करवाये जाने हेतु यह प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जाना न्यायोचित होगा।

4. अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि नदी के पेटे की नहीं होने से आवंटन हुई है जो राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में नहीं आती है, आवंटी को गैर खातेदारी मिलने के बाद पूर्ण आवंटन शर्तो का पालन करने के बाद 10 वर्ष बाद खातेदारी दिनांक 30.06.1986 को दी गई, उक्त काबिल काश्त आराजी पर लगातार जवाबदाता काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है, प्रार्थना पत्र गलत पेश किया गया है जो निरस्त योग्य है।

5. हमने विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस को सुना एवं मनन किया। जवाब अप्रार्थीगण का अवलोकन किया। विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 402/4 रकबा 240.03 बीघा में से 5 बीघा वाके ग्राम श्योपुर तहसील मालपुरा जो गै0मु0 नदी है का आवण्टन अप्रार्थीगण के पिता/पति जुम्मा खां पुत्र बोदू खां मुसलमान निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मालपुरा का दिनांक 17–06–77 को आवण्टन किया गया है। आवंटी के फौत होने पर विवादित भूमि का आवंटी के वारिसान के नाम नामांतकरण 499 स्वीकार किया गया है। पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2010 के अनुसार विवादित भूमि गै0मु0 नदी दर्ज है। नदी, नाले, तालाब आदि की भूमियां राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित है तथा इन भूमियों में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। माननीय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 निर्णय दिनांक 2.08.04 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में यह धारित किया है कि प्रकरण में दिये गये अंतरिम निर्णय की पालना में गठित समिति की अनुशंषानुसार कार्यवाही की जावे। समिति द्वारा अनुशंषा की गई, अनुशंषा में अनुशंषा निम्न प्रकार है "All Land Shown as drainage channels Like nala, rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 Should be declared as Govt. land any conversion made after should be declared illegal. The relevant act must be amended accordingly." इसकी पालना के निर्देशो के तहत तहसीलदार मालपुरा ने यह प्रकरण प्रस्तुत किया है। न्यायालय उपरोक्त विवेचनों के अनुसार यह पाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में किया गया आवण्टन एवं उसकी पालना में खोला गया व अन्य के पक्ष में स्वीकृत नामांतकरण नियमानुकूल नहीं है। अतः ऐसे आवण्टन जो प्रारम्भ से ही शून्य है ओर उसके आधार पर प्राप्त खातेदारी अधिकार कायम रखे जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

6. अतः मूल प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि आवंटी जुम्मा खां पुत्र बोदू खां मुसलमान निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मालपुरा को विवादित भूमि खसरा नंबर 402 हाल ख0नं0 402/4 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम श्योपुर तहसील मालपुरा का दिनांक 17–06–1977 को किया गया आवण्टन एवं उसके आधार पर आवण्टी के पक्ष में भरे गये गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 169 एंव खातेदारी का नामांतकरण सं0 261 वाके ग्राम श्योपुर तहसील मालपुरा तथा आवंटी के वारिसान के पक्ष में स्वीकृत किये गये नामांतकरण सं0 499 को निरस्त कर विवादित भूमि राज्य सरकार के पक्ष में पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान करे।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक-राज0

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक